न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 04/2023/अपील

सावित्री देवी पुत्री मोतीलाल पत्नी सीताराम सैनी जाति माली निवासिनी खण्डेला हाल आबाद कृषि उपज मंडी के पीछे, सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. मोती पुत्र स्वर्गीय श्री दूला जाति माली निवासी गहलोत मोटर्स के पीछे की तरफ, वार्ड नम्बर 46, देवीपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान
2. जगदीश
3. लालचन्द्र
4. प्रहलाद

   पुत्रगण मोती जाति माली निवासी निवासी गहलोत मोटर्स के पीछे की तरफ वार्ड नम्बर 46, देवीपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान,
5. केशर देवी पुत्री मोतीराम पत्नी महेश कुमार सैनी निदासी गहलोत मोटर्स के पीछे की तरफ, वार्ड नम्बर 46, देवीपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने वाली रोड़, पिपली नगर, सीकर,
6. संतोष देवी पुत्री मोतीराम पत्नी सुभाष चन्द सैनी निवासी गहलोत मोटर्स के पीछे की तरफ, वार्ड नम्बर 46, देवीपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी ढ़ाणी वागदालो, ज्योति नगर चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर,
7. द्रोपदी देवी पुत्री मोतीराम पत्नी स्व० प्रकाश सैनी निवासी गहलोत मोटर्स के पीछे की तरफ, वार्ड नम्बर 46, देवीपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी ड्राणी बागवाली, ज्योति नगर चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर,
8. ताराचन्द सैनी पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी
9. विकास सैनी पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी
10. राधाकिशन सैनी पुत्र लालचन्द्र सैनी
11. प्रकाशचन्द्र सैनी पुत्र लालचन्द्र सैनी
12. महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र लालचन्द्र सैनी
13. सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र प्रहलाद सैनी
14. राकेश सैनी पुत्र स्व. चम्पालाल सैनी
15. दिनेश सैनी पुत्र स्व. चम्पालाल सैनी

रेस्पोडेन्ट संख्या 08 ता 15 जाति माली निवासीगण गहलोत मोटर्स के पीछे की तरफ, वार्ड नम्बर 46, देवीपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान,

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

16. तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय सीकर मु. सीकर (राज.)
17. उपपंजीयक सीकर, मु. सीकर (राज.)
18. पटवारी पटवार हल्का (देवीपुरा ग्राम) गोकुलपुरा सीकर

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थितः–

1. श्री नरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 624 ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का गोकुलपुरा अमल दरामद जरिये उपहार पत्र दिनांकित 30.06.2018 द्वारा तहसीलदार सीकर

निर्णय

दिनांकः 27.05.2025

1. अपीलांट **सावित्री देवी** की ओर से यह अपील वकील **श्री नरेश कुमार शर्मा** द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार सीकर के नामान्तरकरण संख्या 624 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैंः–

(1) वाकै ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का गोकुलपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र सीकर तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 142/630 रकबा 1.90 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.90 हैक्टयर में 1/2 हिस्सा एवं भूमि खसरा नम्बर 692/142 रकबा 1.97 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 754/159 रकबा 0.63 हैक्टयर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.01 हेक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.61 हैक्टर भूमियाँ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 15 की पैतृक कृषि भूमियां है।

(2) उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों के पुराना खसरा नम्बर 77 का भू–भाग है। उपरोक्त पुराना खसरा नम्बर 77 अपीलांट के दादा दूला पुत्र लादू द्वारा काश्त किया जाता रहा है, जो खसरा नम्बर गिरदावरी मौजा देवीपुरा तहसील सीकर ठिकाना सीकर राजस्थान राज सवाई जयपुर सम्वत् 2000 से साबित होती है। इनके उपरान्त उपरोक्त कृषि भूमि दूला की पत्नी अर्थात् अपीलांट की दादी लक्ष्मी देवी के नाम दर्ज हुई। इसके उपरांत जागीदारी प्रथा समाप्त होने पर 07 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार 1.90 हैक्टेयर भूमि अपीलांट की दादी लक्ष्मी देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई तथा शेष भूमि अन्य काश्तकारों के

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

साथ केवल मात्र अपीलांट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मोतीलाल के नाम बडा पुत्र होने के कारण दर्ज हुई। जबकि अपीलांट के दादा व दादी क्रमशः दुला व लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गोतीलाल एवं उनके भाई मदनलाल द्वारा बराबर–बराबर कब्जा के अनुसार काश्त की जाती रही है।

(3) अपीलांट की दादी लक्ष्मी देवी के नाम 07 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि (1.90 हैक्टेयर) वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 140/629 रकबा 1.07 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 142/630 रकबा 1.90 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.97 हैक्टयर में से अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के साथ–साथ कृषि भूमि खसरा नम्बर 141, खसरा नम्बर 692/142, खसरा नम्बर 754/159, खसरा नम्बर 716/142 अपीलांट एवं रेस्पो. के साथ मदनलाल पुत्र दुला की पैतृक भूमियां है, जिनमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को विरासत व उत्तराधिकार में से हिस्सा प्राप्त हुआ।

(4) खसरा नम्बर 141 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 142 (नये खसरा नम्बर 692/142, खसरा नम्बर 691/142, खसरा नम्बर 715/142) एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 143 में के राजस्व रिकॉर्ड में केवल मात्र मोतीराम का नाम ही अंकित चला आ रहा था। इस कारण उनके भाई मदन पुत्र दुलाराम द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमियों में उद्घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दावा नम्बर 257/92 बउनवानी मदन विरूद्ध मोती वगैरह प्रस्तुत किया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा इकबाली जवाब दिया गया और राजीनामा प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में 1/2, 1/2 हिस्सा होने और पश्चिम की तरफ की 1/2 भाग की भूमि पर मदनलाल पुत्र दुला का कब्जा व काशत होना एवं इसके अनुसार ही बंटवारा होना स्वीकृत करते हुए प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा अस्वीकार करते हुये खारिज किया गया। मदन पुत्र दूलाराम द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील नम्बर 49/92 बउनवानी मदनलाल बनाम मोतीराम वगैरह न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा स्वीकार करते हुये दिनांक 13.10.1992 को निर्णय पारित कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार मदन व मोती का 1/2, 1/2 हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त स्वीकृत कर उपरोक्त वर्णित कृषि

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

भूमियों में मदन पुत्र दुलाराम को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार, काश्तकार घोषित किया गया और उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में मदन व मोती के नाम 1/2, 1/2 हक, हिस्से की खातेदारी अमल दरामद हो गई। बाद में खसरा नम्बर 691/142, खसरा नम्बर 143 एवं खसरा नम्बर 715/142 में मदन के आवासीय मकानात एवं हवेली निर्मित होन के कारण उपरोक्त खसरा नम्बर की तीनो भूमियां गैर मुमकिन आबादी में दर्ज हो गई। उपरोक्त वर्णित भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है।

(5) कृषि भूमि खसरा नम्बर 716/142 रकबा 2.00 हैक्टेयर मदन पुत्र दूला की एकाकी खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 692/142 रकबा 1.97 हैक्टेयर, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की एकाकी खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 141 रकबा 0.01 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 140/629 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/630 रकबा 1.90 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.97 हैक्टयर में 07 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार 1.90 हैक्टेयर मदन पुत्र दुला एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में है। जिनमें से खसरा नम्बर 140/629 एंव 142/630 कुल किता 02 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर में से 07 बीघा 10 बिस्वा मदन पुत्र दुला एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की माता की खातेदारी में थी। जिनका निर्वसियती स्वर्गवास हो जाने के कारण विरासत का नामान्तरण रेस्पो. संख्या 01 व उनकी बहनों ग्यारसी देवी व बाली देवी के वारिसान के नाम स्वीकृत हुआ था। तत्पश्चात् मदन पुत्र दुला एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में उपरोक्त सभी वारिसान ने अपने हिस्से का हकत्याग कर देने से नामान्तरण नम्बर 576 दिनांक 05.09.2016 को जरिये खातेदारी मदन पुत्र दुला एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज हुई थी।

(6) काफी अर्सा पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने कब्जे एवं काश्त व 1/2 भूमि में से अपीलांट को उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाले 1/9 हक, हिस्से अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में से 1/18 की कृषि भूमि को अपीलांट के भरण पोषण एवं पुरानी आवासीय हवेली एवं मकानात में के हिस्से के एवज में दी थी। उपरोक्त प्रकार से 1/2 भूमि में से 1/9 हिस्से की भूमि अपीलान्ट के उत्तराधिकार के आधार पर भरण–पोषण के लिये एवं पुरानी आवासीय हवेली एवं मकानात में के हिस्से के एवज में प्राप्त होने पर अपीलांट अपने 1/9 हिस्से की भूमि पर काश्त करते हुये काबिज चली आ रही है तथा काश्त करते हुये अपना भरण–पोषण कर जीवन निर्वहन कर रही है। उपरोक्त विवादित कृषि भूमियां पैतृक होने के कारण भी अपीलांट का उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में से 1/2

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

भाग की भूमि में से 1/9 हक, हिस्सा व अधिकार है। इस कारण अपीलांट उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में से 1/2 भाग की भूमि में से अपने 1/9 हक, हिस्से, अधिकार की भूमि की खातेदार होने के कारण नामान्तरण 624 दिनांक 30.06.2018 को निरस्त करवाने की अधिकारिणी है। अपीलान्ट का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में नाम अंकित नहीं होने के कारण रेस्पोडेंटगण इस बात का नाजयज फायदा उठाने पर आमादा है और इस कारण अपने हक, हिस्से की 1/9 भाग की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने 08 लगायत 15 के पक्ष में उपहार पत्र निष्पादित करके नामान्तरण करवा लिया जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट का 1/9 हिस्सा है। इस कारण नामान्तरण निरस्त करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

(7) रेस्पोडेंट्स ने उपरोक्त पैरा संख्या 03 में वर्णित भूमि के 1/2 हक हिस्से की भूमि का उपहार पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से रेस्पोडेन्ट संख्या 08 लगायत 15 के नाम से एक नुमाईशी उपहार पत्र दिनांक 07.06.2018 को पंजीयन करवा लिया, जो उपहार पत्र कार्यालय उप–पंजीयक सीकर के यहा दिनांक 08.06.2018 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1196 में पृष्ठ संख्या 189 क्रम संख्या 201803327105548 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4176 के पृष्ठ संख्या 431 से 445 पर चस्पा किया गया। उपरोक्त दोनो उपहार पत्र अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन है तथा अपीलान्ट के हक, अधिकारों के विपरीत है और अपीलान्ट उपरोक्त उपहार पत्रो से आबद्धकर नही है तथा उपरोक्त दोना उपहार पत्र के आधारो पर खोला गया नामान्तरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 निरस्तनीय है।

(8) उपरोक्त दोनो उपहार पत्र मात्र नुमाईशी तौर पर अपीलान्ट को उसके हक, अधिकारों से वंचित करने तथा अपीलान्ट के कब्जे, काश्त की भूमि को हड़पने एवं उसमे रद्दो बदल करने के उद्देश्य से निष्पादित कर साजिशी कार्यवाही में पजीबद्ध करवाये गये है। इस कारण उपरोक्त दोनो उपहार पत्र अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन है। इनमें जरिये जो नामान्तरण हुआ है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

(9) उपरोक्त दोनो उपहार पत्रों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जावे तो उसमें केवल अपने पौत्रो का ही वर्णन किया जाकर उनके नाम उपहार में कृषि भूमि दिया जाना अंकित किया गया है जबकि उपरोक्त वर्णित उपहार पत्रो में यह कही भी अंकित नहीं किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की कितनी पुत्रियां हैं और कितनी पौत्रीयों है तथा उन्हे उपरोक्त कृषि भूमि में उनके, हक, हिस्से

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

से क्यों वंचित किया गया है। उपरोक्त दोनों उपहार पत्र संदिग्ध एवं अस्पष्ट दस्तावेज की श्रेणी में आते है और अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन है। इस कारण उपरोक्त दोनो उपहार पत्र संदिग्ध एवं अस्पष्ट दस्तावेज की श्रेणी में आते है। और अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है। इस प्रकार संदिग्ध एवं अस्पष्ट दस्तावेजात के आधार पर किया गया नामान्तरण निरस्तनीय है।

(10) उपरोक्त उपहार पत्रो के आधार पर उपहार में दी गई कृषि भूमियो पर रेस्पोडेन्ट संख्या 08 ता 15 का ना तो कभी कब्जा था और ना ही कभी कब्जा रहा। इसके विपरीत जाकर उपहार पत्रो में कब्जे का आदान–प्रदान करना अंकित किया गया है। वास्तविकता में कृषि भूमियों के कब्जे का कोई आदान–प्रदान नही हुआ है और ना ही आदान–प्रदान होना सम्भव है। कब्जे के अभाव में किया गया नामान्तरण अवैध एवं निरस्तनीय है।

(11) उपरोक्त उपहार पत्रो के आधार पर उपहार में दी गई कृषि भूमियों पैतृक कृषि भूमियाँ है, जिनका मौके पर बाइ मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हुआ है और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक भूमियों होने के कारण तथा उनकी स्वअर्जित भूमियों नही होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को उपरोक्त कृषि भूमियों अन्तरित करने का अधिकार भी प्राप्त नही था। बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन निरन्तर चालू है इस कारण नामान्तरण निरस्तनीय है।

(12) रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगभग 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 15 (उसके पुत्रो/पुत्रीयों/एवं पौत्रो द्वारा उस पर नाजायज दबाव बनाकर तथा अपीलान्ट को पैतृक कृषि भूमियो में हिस्सा नही देने की बदनियती के अन्तर्गत दबाव डालकर उक्त उपहार पत्र निष्पादित करवाया गया है। जिस उपहार पत्र में निष्पादनकर्ता की स्वैच्छिक सहमति नही है। इस कारण भी उपहार पत्र के द्वारा किया गया नामान्तरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण अपीलान्ट के हक, हिस्से तक निरस्त किये जाने योग्य है।

(13) विधिक वारिसान को सुने बिना ही तहसीलदार ने नामान्तरण संख्या 624 किया गया जो निरस्तनीय है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट मोती की जायन्दा पुत्री व दुला एवं लक्ष्मी की पोत्री है, जो ए श्रेणी की वारिस है के अनुसार अपीलान्ट के नाम कानूनी तौर से नामान्तरण भरा जाना न्यायोचित था मगर रेस्पोडेन्टगण ने कूठिलता पूर्वक, षडंयत्र रचकर वारिसान

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

को छिपाते हुए अपीलान्ट को उसके हक अधिकार से वंचित किया। इस कारण भी नामान्तरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 निरस्तनीय है।

(14) अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश/नामान्तरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 जानकारी रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त विवादित/अपीलाधीन नामान्तरण की आड़ में अपीलान्ट के कब्जा काश्त, हक, अधिकार की भूमि पर बल–पूर्वक दिनांक 29.06.2019 को एलानिया धमकी देते हुये विभाजन करने से इंकार कर बलपूर्वक अपीलान्ट के सम्पूर्व हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर ने एक दावा बाबत निरस्त किये जाने उपहार पत्र दिनांक 08.06.2018 एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ प्रस्तुत किया उक्त दावे को माननीय न्यायालय ने दिनांक 11.11.2022 को वाद पत्र यह कहते हुये अस्वीकार किया कि कृषि भूमि के सम्बन्ध में जब तक खातेदारी अधिकार सक्षम न्यायालय से तय नही करवा लिये जाते तब तक उपहार पत्र शून्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में वाद पत्र सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा सकता। वादीया द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा समक्ष राजस्व न्यायालय से करवाये बिना वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक, अधिकार होने के कारण विवादग्रस्त उपहार पत्र को निरस्त करवाये जाने हेतु हस्तगत वादपत्र प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2022 को निरस्त कर दिया गया। तब से लेकर आज दिनांक तक वाद कारण प्रभावी चला आ रहा है। और अपील अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। धारा 05 अवधि अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत है।

(15) रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लगायत 18 राज्य सरकार एवं उनक प्रतिनिधि तथा लोक सेवक होने से पक्षकार बनाये गये है रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लगायत 18 अन्य रेस्पोडेन्टगण के प्रभाव में है तथा उनके साथ साजिशी कार्यवाही में सम्मिलित है, जिनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाने से पूर्व दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्ररकरण अति अर्जेन्ट नेचर का है और यदि दो माह का नोटिस दिया जाता है तो रेस्पोडेन्टगण अपने नापाक मंसूबो में कामयाब हो जावेगें तथा अपीलान्ट के विधिक एवं सम्पत्तिक अधिकारो पर विपरीत असर होकर अपीलान्ट को अपार क्षति होगी तथा वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। इस कारण दो माह पूर्व सूचना का नोटिस दिये बिना ही अपील प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिये छुट दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिस हेतु धारा हेतु धारा 80 जा.दी. का प्रार्थना पत्र इस वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(16) अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वाकै ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का गोकुलपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र सीकर तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 142/630 रकबा 1.90 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.90 हैक्टयर खसरा नम्बर 692/142 रकबा 1.97 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 754/159 रकबा 0.63 हैक्टयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.61 खसरा नम्बर 140/629 रकबा 1.07 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 142/630 रकबा 1.90 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.97 हैक्टयर में से अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के साथ–साथ कृषि भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 692/142 रकबा 1.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 716/142 रकबा 2.00 हैक्टयर में 1/2 हिस्से में जरिये उपहार पत्र नामान्तरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 को निरस्त कर तहसीलदार को 1/9 हिस्से का नामान्तरण अपीलान्ट के नाम से किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलान्ट को उसके हक, हिस्से से बेदखल ना करें गलत नामान्तरण की आड़ में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विक्रय ना करें, जबरन कब्जा ना करें, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण ना करें, उसमें किसी भी प्रकार का कोई उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करें और ना ही कोई दखलादांजी करें।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. संख्या 13 प्रकरण दर्ज किये जाने उपरान्त एक बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए हैं, उसके पश्चात निर्णय दिनांक तक स्वयं अथवा प्लीडर के माध्यम से कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपील के विरूद्ध कोई साक्ष्य दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये हैं। शेष अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं।

3. हमने वकील अपीलांट की बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने कथन किया कि, वाकै ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का गोकुलपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र सीकर तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 142/630 रकबा 1.90 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.90 हैक्टयर में 1/2 हिस्सा एवं भूमि खसरा नम्बर 692/142 रकबा

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

1.97 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 754/159 रकबा 0.63 हैक्टयर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.01 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 692/142 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 716/142 रकबा 2.00 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा भूमियाँ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 15 की पैतृक कृषि भूमियां है।

उपरोक्त पैतृक कृषि भूमियों में रेस्पो. संख्या 1 के द्वारा अपने 1/2 हक हिस्से की भूमि का उपहार पत्र दिनांक 07.06.2018 रेस्पो. संख्या 08 लगायत 15 के नाम पंजीयन करवाया गया। जबकि उस 1/2 हिस्से में से अपीलांट का भी 1/9 हक हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा जरिये उपहार पत्र नामान्तरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 भरा गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा जरिये उपहार पत्र के भरे गये नामान्तरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 को निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में से रेस्पो. संख्या 1 के 1/2 हक हिस्से की भूमि में से 1/9 हिस्से का नामान्तरण अपीलान्ट के नाम से किये जाने के आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

4. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा उपहार पत्र दिनांकित 07.06.2018 के आधार पर एक नामान्तकरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 भरा गया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थिया द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) उक्त विवादित नामान्तकरण वाके ग्राम देवीपुरा के खसरा नम्बर 132 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140/629 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142/630 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 692/142 रकबा 1.97 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 141 रकबा 0.01 हैक्टेयर के सम्बन्ध में भरा गया है। उक्त भूमियों की खातेदारी अपीलांट के पिता मोतीराम पुत्र दुलाराम के नाम अंकित थी। अपीलांट द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी अपीलांट कि पिता मोतीराम को विरासत में प्राप्त हुई है।

(3) चूंकि उपहार पत्र को शून्य एवं निरस्त घोषित किया जाना अथवा कृषि भूमियों में खातेदारी अधिकारी उद्घोषित किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त अनुतोष के लिए पक्षकारान सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

के लिए स्वतंत्र है। परन्तु बिन्दू संख्या 2 के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा उपहार पत्र दिनांकित 07.06.2018 के आधार पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 से पूर्व उपहारकर्त्ता मोतीराम के विधिक वारिसानों की जांच नहीं की गई और न ही उनको सुना गया। जबकि पैतृक आराजियात से सम्बन्धित कोई भी नामान्तकरण भरे जाने से पूर्व खातेदार के विधिक वारिसानों की जांच किया जाना एवं उनको सुना जाना न्यायोचित है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत ग्राम देवीपुरा तहसील व जिला सीकर के नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.06.2018 को रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार सीकर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कानून में वर्णित नियमों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

6. निर्णय आज दिनांक **27 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर